सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-

शीर्षक ..... बनाम .....

प्रकरण : संख्या - 92/19

कार्यवाही प्रकरण

दिनांक	
16/2/21	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि० उप० अधि० विपक्षी पत्रावली पेश करने के लिए अवसर चाहते हैं। नियम 2 कि तलबी हेतु Regd के तलबाना आगामी पेश करें। अन्यथा तलबी का अवसर बंद समझा जावे। पत्रावली दिनांक 9/3/21 को पेश हो।
9/3/21	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि० उप० अधि० प्रार्थी द्वारा नियम 2 कि तलबी प्रस्तुत नहीं कर तलबी बंद करायी गयी। नियम 1 के अधि ने पत्रावली पेश नहीं कर प्रस्तुत लीमिटेशन जाने पर सहमति दी गयी। अधि प्रशासन को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि विपक्षी 1-2 आवश्यक पक्षकार के रूप में है जिन्हें बुला जाना आवश्यक था। परन्तु अधि प्रार्थी द्वारा समन Regd से जारी किये जाने के उपरान्त भी AD नहीं करायी गयी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना आदेश 9 के अनुसार लिमिटेशन सहित आदेश 1 नियम 9 के तहत प्रार्थना की प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती से कम किया जावे। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

ईकोर्ट के आदेशानुसार पत्रावली, पत्रावली ई. modified,

Bl rel